यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी के माह 09.2016 से 03.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 29.04.2018 से 18.05.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एफ. आर. खान, व. लेखापरीक्षक, श्री ए. के. पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस. के. गर्ग, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.09.2016 से 19.09.2016 तक श्री प्रेमचन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09.2011 से 08.2016 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त कुमाऊँ सम्भाग आता है। कुमाऊँ सम्भाग में खाद्यान/चीनी, संबन्धित योजनाओ के अंतर्गत, परिवारों को वितरण की Monitoringकी जाती है, जो कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(Rs in Lakh)

वित्तीय वर्ष	स्थापना (2408)		गैर- स्थापना (4408)		कुल आवंटन	कुल व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि				
2013-14	303.05	269.77	128521.00	126822.70	128824.05	127092.47	---	1731.58
2014-15	405.32	326.68	148026.50	136617.13	148431.82	136943.81	---	11488.01
2015-16	412.34	328.38	162437.00	160006.64	162849.34	160335.02	---	2514.32
2016-17	436.59	357.52	156506.28	152528.72	156942.87	152886.24	---	4056.63
2017-18	466.58	450.47	140700.00	115077.87	141166.58	115528.34	---	25638.24

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

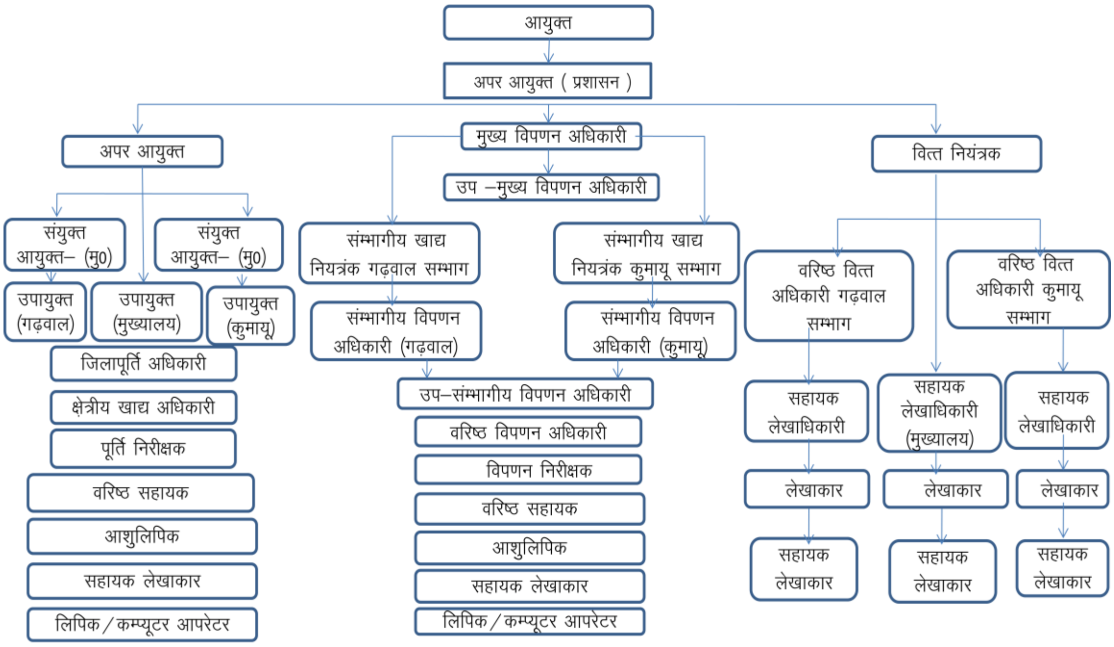

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2016 से 03.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03.2017 & 05.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर-1</u>:- रोकड़-बही का न तो अद्‌यतन रखा जाना एवं न ही रु 1213.90 करोड़ की व्यय सकल धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में किया जाना तथा रु 35.32 करोड़ के भुगतान के वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध न करवाया जाना।

शासन के पत्रांक संo- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे I इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्‌वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्‌य), कुमाऊँ सम्भाग, हल्द्‌वानी की रोकड़-बही की नमूना जाँच में पाया गया कि विस्तृत जांच हेतु चयनित माह 03.2017; 05.2017 एवं अंकगणितीय जांच हेतु माह 02.2017; 04.2017 में ट्रेजरी द्‌वारा प्राप्त **Form BM- 5** के कुल **रू 1213,89,78685/-** की निम्नलिखित आहरित सकल धनराशि (Gross Amount) को कार्यालय की रोकड़-बही का वर्ष 2013-14 से नहीं बनाये एवं नियमानुसार रख-रखाव न किये जाने के कारण, रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। बीएम- 05 के संबन्धित प्रमाण पत्र भी कोषागार को प्रेषित नही नहीं जा रहे थे। विवरण:-

माह	**कुल व्यय सकल धनराशि (Rs.)**	**नेट व्यय धनराशि (Rs.)**	**Remark, if any**
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 03.2017	3712973493	3708988151	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 05.2017	3140445594	3136003466	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 02.2017	2831342803	2827822954	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
व्यय की अंकगणितीय लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित माह 04.2017	2454216795	2451115505	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य विभिन्न मदें
योग=	**1213,89,78685/-**	**1212,39,30076/-**	

आगे, विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित माहों 03.2017 एवं 05.2017 के भुगतान हुये वाऊचरों मे संलग्न विवरण ***(संलग्नक-क)*** के धनराशि रु 3531,83,446/-= (2793,58,616 + 738,24,830) के वाउचरों को लेखापरीक्षा को बार-बार अनुरोध के पश्चात भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिस कारण उन वाउचरों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य), कुमाऊँ सम्भाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*भविष्य में शासनादेशानुसार का पालन किया जायेगा*" एवं अप्रस्तुत वाउचरों के सम्बन्ध में कहा कि "*अधिकतर वाउचरों को प्रस्तुत किया गया, किन्तु कतिपय वाउचर जो ढूँढे नहीं जा सके हैं, उन्हें ढूँढकर आगामी लेखापरीक्षा को अवलोकित करा करा दिया जायेगा*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2013-14 से शासन के पत्रांक संo- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन करते हुये रोकड़-बही को नियमानुसार अद्यतन नहीं रखा गया था एवं विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित माहों के समस्त वाउचरों को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः रोकड़-बही का अद्यतन न रखे जाने एवं रु 1213.90 करोड़ की व्यय सकल धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किये जाने तथा रु 35.32 करोड़ के भुगतान के वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध न करवाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>संलग्नक- क</u>

निम्नलिखित भुगतान के वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया :-

i). (Month 03.2017)

दिनांक	क्रम संख्या (BM- 5)	बिल नं०	सकल व्यय धनराशि(Rs)	Remark, if any
01.03.2017	3	1084	23941577	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
03.03.2017	5	31103	218192	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
03.03.2017	6	31103	219754	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
03.03.2017	9	959	5758636	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
07.03.2017	14	126	49437	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
09.03.2017	21	1133	9310614	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
09.03.2017	26	1096	9980610	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
18.03.2017	105	1191	5322992	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
18.03.2017	122	---	1730711	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
20.03.2017	132	1165	37242455	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
21.03.2017	158	1227	19230812	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
22.03.2017	166	---	5766107	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
22.03.2017	170	1219	26155110	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
23.03.2017	199	1246	32593918	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
23.03.2017	208	1242	38574523	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
23.03.2017	213	1248	19852639	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
24.03.2017	215	89	16900	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
25.03.2017	239	51203	3161	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
30.03.2017	268	1287	36402164	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
31.03.2017	288	1285	4318981	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
31.03.2017	292	1307	2669323	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
		Total=	2793,58,616/-	

ii). (Month 05.2017):

दिनांक	क्रम संख्या (BM- 5)	बिल नं०	सकल व्यय धनराशि	Remark, if any
01.05.2017	4	146	19434794	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
02.05.2017	9	140	5038035	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
02.05.2017	16	125	25905301	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
06.05.2017	51	161	20188794	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
08.05.2017	62	10	961648	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
11.05.2017	78	184	714094	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
12.05.2017	79	15	642454	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
12.05.2017	81	02	34294	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
17.05.2017	96	15	611113	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
25.05.2017	204	13	294303	सामग्री, सम्पूर्ति, वेतन एवं अन्य मदें
		Total=	738,24,830/-	

STAN

प्रस्तर-1:धनराशि रु 5.30 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्रियों सहित ₹ 1.63 लाख अनुपयोगी बोरें की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक एवं सम्भागीय वरिष्ठ वित्त खाद्य अधिकारी, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की डेड-स्टाक से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि ***संलग्न विवरण*** के अनुसार कुल धनराशि रु4,89,125 + 40,603= **रु5,29,728/-** की पूर्व में क्रय हुई 01 वर्ष से 07 वर्ष से जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई सामग्रियाँ वर्तमान में खराब थी एवं मरम्मत योग्य भी नहीं थी। साथ ही, कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक में माह 09.2016 से 03.2018 तक कुल 133,98,500 कट्टे क्रय किए गए थे। माह 03.2018 तक उपयोगी कट्टे 55,554 थे, जबकि ***1,62,866 कट्टे अनुपयोगी*** पाये गए, इसके अतिरिक्त कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक में 154.75 कु. टाट पट्टी, 154.75 कु. आयरन पट्टी, 644 पी.पी. कट्टा, 148831 SBT कट्टा जूट, 6 कम्प्युटर कुर्सी, 1 कम्प्युटर टेबिल, 6 कम्प्युटर सेट, 1 वीम बैलेंस, 5 लोहे की ताला चाभी, 61 तिरपाल, 1 चेयर, 1 परखी, 568 लकड़ी के क्रेट्स, 1 स्कूपर, 2 वूडेन रैक, 1 तीन का संइक, 3 पैट्रोमैक्स, 4 बीम स्केल, 1 बाँस की तिपाई, 7 रिफेक्सन सैट, 1 बासशील, 18 लोहे के बकेट, 6 लोहे के स्टैंड्स, 2 लोहे का लाकर एवं 11 बी.टी. बोरा भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में उपलब्ध थी। 01 वर्ष से 07 वर्ष की अवधि से उक्त जीर्ण शीर्ण सामग्रियों को लेखापरीक्षा अवधि के माह 03.2017 तक निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी नहीं की गई थी। प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण स्टाक का भौतिक सत्यापन करके सक्षम अधिकारी द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से अक्रियाशील/ निरर्थक सामग्रियों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की जानी चाहिए ताकि निष्प्रयोज्य सामग्रियों को और अधिक मूल्य ह्रास से बचाया जा सके। समुचित नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कार्यालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न की जायेगी तथा प्राप्त धनराशि को कोषागार जमा कर दिया जायेगा*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 01 वर्ष से 07 वर्ष से जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई उक्त सामग्रियों को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर, और ज्यादा मूल्य ह्रास होने एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था I

अत: धनराशि रु5.30 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्रियों सहित 1.63 लाख अनुपयोगी बोरें की नीलामी न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

कार्यालय RFC में उपलब्ध निष्क्रीय वाहनों सहित समस्त अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची :-

(in Rs)

सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर (रु में)	कुल मूल्य (रु में)	सामग्री के प्राप्ति का वर्ष	सामग्री के अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का वर्ष	अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का कारण
लकड़ी की कुर्सी	24	1450	34800	1996	2017	जीर्ण शीर्ण
लकड़ी का मेज	15	4200	63000	1996	2017	जीर्ण शीर्ण
लकड़ी का रैक	9	2750	8250	1995	2017	जीर्ण शीर्ण
सीलिंग फैन	4	775	3100	1999	2017	जीर्ण शीर्ण
लोहे की आलमारी	11	4850	52800	1999	2017	जीर्ण शीर्ण
लोहे की कुर्सी	30	1200	36000	1998	2017	जीर्ण शीर्ण
लकड़ी की आलमारी	8	4850	38800	1995	2017	जीर्ण शीर्ण
प्लास्टिक कूलर	1	2800	2800	2002	2017	जीर्ण शीर्ण
तीन का बस्ता	2	2450	4900	1999	2017	जीर्ण शीर्ण
लोहे का रैक	10	3800	38000	1992	2017	जीर्ण शीर्ण
अधिकारी की कुर्सी	5	1750	8750	2000	2017	जीर्ण शीर्ण
कूलर स्टैंड	2	450	900	2002	2017	जीर्ण शीर्ण
टाइप मशीन	6	2800	16800	2002	2017	जीर्ण शीर्ण
ट्यूब लाइट	7	175	1225	2002	2017	जीर्ण शीर्ण
टायर	22	7750	170500	1992	2017	जीर्ण शीर्ण
स्टूल लकड़ी	2	350	700	1995	2017	जीर्ण शीर्ण
साइकिल	1	950	950	1994	2017	जीर्ण शीर्ण
लोहा पाईप	3	175	525	1998	2017	जीर्ण शीर्ण
वास बेसिन	1	650	650	1992	2017	जीर्ण शीर्ण
लकड़ी का तख्त	1	285	285	1991	2017	जीर्ण शीर्ण
नोटिस बोर्ड	1	575	575	1990	2017	जीर्ण शीर्ण
लोहे की छोटी रैक	1	1180	1180	1996	2017	जीर्ण शीर्ण
लोहे की बेंच	2	380	760	1998	2017	जीर्ण शीर्ण
साइकिलों स्टाईल मशीन	1	2875	2875	1990	2017	जीर्ण शीर्ण
		योग=	4,89,125/-			

कार्यालय RSFO में उपलब्ध निष्क्रीय वाहनों सहित समस्त अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची:

(in Rs)

सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	दर (रु में)	कुल मूल्य (रु में)	सामग्री के प्राप्ति का वर्ष	सामग्री के अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का वर्ष	अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का कारण
आफिस कुर्सिया	08	73.00	584	1983	2017	खराब हैं एवं मरम्मत योग्य नहीं हैं।
आफिसर कुर्सी	02	8000.00	16000	2007	2017	
विजीटर कुर्सिया	06	1650.00	9900	2016	2017	
आफिस टेबिल	06	230.00	1380	2002	2017	
सइकिल	01	1800.00	1800	2004	2017	
तले	20	85.00	1700	2009	2016	
थ्तजोरी	01	725.00	725	1977	2015	
दिवार घड़ी	01	190.00	190	1985	2015	
फैक्स मषीन	01	5324.00	5324	2009	2014	
हीटर	02	1500.00	3000	2011	2011	
		Total =	**40,603/-**			

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
2011-12	1	1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7	---	---
SS/ AIR- 70/ 2015-16	1, 2, 3	1	---	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
2011-12	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं.- 1; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4, 5, 6 &7; STAN सं. - NIL एवं TAN सं. - NIL	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---
SS/ AIR- 70/ 2015-16	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं.- 1, 2, 3; भाग- 2'ब' प्रस्तर सं.- 1; STAN सं. - NIL; एवं TAN सं. - NIL	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता है।	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री विष्णु सिंह धनिक	सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक	माह 09.2016 से माह 08.2017 तक
श्री ललित मोहन रयाल	सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक	माह 09.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, कुमाऊँ सम्भाग, उत्तराखण्ड, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.